प्रसार भारती

आकाशवाणी केन्द्र शिमला

20.03.2025 / प्रादेशिक समाचार / 1500बजे

वॉकआउट

हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के महाप्रबंधक व चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत के मामले में आज विधानसभा में भारी हंगामा हुआ। शिमला में चल रहे विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज विपक्षी दल भाजपा ने इस घटना की सीबीआई जांच की मांग को लेकर पहले सदन में हंगामा किया और बाद में सदन से वॉकआउट भी किया। दूसरी ओर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में कहा कि सरकार इस मामले की निष्पक्ष जांच करेगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। विपक्ष ने इस मुददे पर नियम–67 के तहत स्थगन प्रस्ताव का नोटिया दिया था, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने नामंजूर कर दिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रश्नकाल के दौरान विमल नेगी की मौत का मामला उठते हुए कहा कि सरकार को इस पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस सारे मामले में कई गंभीर सवाल खड़े हुए है और पावर कॉरपोरेशन की कार्यप्रणाली पहले दिन से ही विवादों के घेरे में है। उन्होंने कहा कि मृतक चीफ इंजीनियर को पावर कॉरपोरेशन में मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता था। विपक्ष द्वारा यह मुददा उठाए जाने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और उचित कार्रवाई की है।

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से मृतक विमल नेगी की पत्नी संतुष्ट है और उन्होंने स्वयं व्यक्तिगत तौर पर उनसे बात की है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर इस सारे मामले पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया। सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन में जोरदार हंगामा किया और फिर पूरा विपक्ष नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चला गया। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने व्यवस्था देते हुए कहा कि उन्हें विमल नेगी की मौत के मामले में भाजपा के जयराम ठाकुर, डॉ. जनकराज, रणधीर शर्मा, विपिन सिंह परमार और अन्य की और से नियम–67 के तहत स्थगन प्रस्ताव आज ही प्राप्त हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने इस मामले में पहले ही अपेक्षित कार्रवाई कर दी है। ऐसे में इस मामले को नियम–67 के तहत उठाने का अब कोई औचित्य नहीं है।

.....

जयराम

वाकआउट के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि विमल नेगी की मौत पर कई सारे सवाल हैं। इसलिए विपक्ष ने सदन में काम रोको प्रस्ताव लाया लेकिन मुख्यमंत्री ने इस विषय पर कुछ भी कहने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि एफआईआर में एक ही अधिकारी का नाम है जबकि दूसरे अधिकारी को बचाने के लिए केवल पोस्ट का नाम ही एफआईआर में है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि एचपीपीसीएल की कार्यप्रणाली पिछले लंबे समय से विवादों में रही है इसलिए इस सारे मामले पर सीबीआई जांच होनी चाहिए।

निधन

पूर्व मंत्री केवल सिंह पठानिया का आज निधन हो गया। वे 88 वर्ष के थे। वे कांगड़ा जिले के नूरपुर क्षेत्र से संबंध रखते थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधानसभा में कहा कि ये सदन केवल सिंह पठानिया के निधन पर शोक प्रकट करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल सिंह पठानिया वर्ष 1972, 1990 और 1993 में प्रदेश विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। वे राज्य सरकार में 1995 से 1998 तक परिवहन मंत्री स्वतंत्र प्रभार रहे। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश व समाज के लिए दिए गए उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। इस बीच राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने भी पूर्व मंत्री केवल सिंह पठानिया के निधन पर शोक व्यक्त किया है। राज्यपाल ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है।